<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी:– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:– 05/2015/प्रार्थना पत्र 6ए

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, सीकर

प्रार्थी

बनाम

अब्दुल रसीद पुत्र बशीर अहमद इस्लामिया स्कूल फतेहपुर रोड़ सीकर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

निर्णय **दिनांक:–10.12.2019**

जिला रसद अधिकारी, सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि घरेलु गैस का व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के लिए दिनांक 11.03.2008 को जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सीकर के नेतृत्व में परिवहन विभाग के स्टॉफ के साथ संयुक्त रूप से वाहनों की जांच की गई। जांच में रामू का बास जयपुर बीकानेर हाइवे बाईपास सीकर के पास वाहन संख्या RJ-23C 5534 में बी0पी0सी0 कम्पनी का घरेलु गैस सलैण्डर 14.2 किलोग्राम क्षमता का लगा पाया, जिससे वाहन चलाया जा रहा था। इस प्रकार घरेलु गैस सलैण्डर से वाहन चलाकर इसका व्यावसायिक दुरूपयोग करना पाया गया, जो एल0पी0जी0 (रेगयुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 एवं एल0पी0जी0 (रेगयुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2001 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया। उक्त गैस सलैण्डर SR.No. 570648 को तौलने पर उसमें 2.500 कि.ग्रा. गैस पायी गयी। उक्त गैस सलैण्डर को वाहन चालक अब्दुल रसीद पुत्र बशीर अहमद इस्लामिया स्कूल फतेहपुर रोड़ सीकर से व्यावसायिक दुरूपयोग करते पाये जाने पर वजह सबूत जब्त सरकार किया गया। मौका पर कोई कागजात पेश नहीं किये गये। उक्त सलैण्डर को जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मै0 विक्रम गैस सर्विस सीकर के मैनेजर श्री दशरथ सिंह को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्दगी में दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त आधार पर उक्त एक बी0पी0सी0 कम्पनी के घरेलू गैस सलैण्डर का मय गैस राजसात करने की कृपा करें। चूंकि गैस विस्फोटक ज्वलनशील द्रवित पदार्थ है। अतः धारा 6ए(2) ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत अन्तरिम निस्तारण भी अविलम्ब फरमाए जाने की कृपा करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में फर्द मौका चैकिंग के मुताबिक घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच के क्रम में रामू का बास जयपुर बीकानेर हाईवे बाईपास पर जांच के दौरान वाहन मारूती 800 नम्बर RJ-23C 5534 को रूकवाकर जांच करने पर उसमे बीपीसी कम्पनी का घरेलू गैस सिलेण्डर लगा हुआ पाया गया, जिसमें 2.500 किलोग्राम गैस पायी गई। इस प्रकार घरेलु गैस सलैण्डर से वाहन चलाकर इसका व्यावसायिक दुरूपयोग करना पाया गया, जो एल0पी0जी0 (रेगयुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 एवं एल0पी0जी0 (रेगयुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2001 के

प्रावधानों का उल्लघंन किया गया। मौके पर वाहन अब्दुल रसीद पुत्र बशीर अहमद ईस्लामिया स्कूल के पास फतेहपुर रोड़ सीकर द्वारा चलाया जा रहा पाया। घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत मौके पर जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स विक्रम गैस सर्विस सीकर के मैनेजर श्री दशरथ सिंह को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्दगी में सम्भलाया गया। अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित रहा एवं पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक उपयोग में नहीं किया जा रहा था। जब्तशुदा सिलेण्डर में जब्त गैस क्षरित योग्य है। अतः उक्त गैस क्षरित होने व ज्वलनशीन पदार्थ से हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, सीकर को लिखा जावे कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर में जब्त गैस मात्रा 2.500 कि.ग्रा. का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे एवं जब्तशुदा सिलेण्डर के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम निस्तारण तक पूर्व की भांति जब्त रहकर सुरक्षित सुपुर्दगी में ही रहें। जिला रसद अधिकारी जब्तशुदा सिलेण्डर के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर उक्त न्यायालय के अन्तिम निर्णय के मुताबिक निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा को सुचित कर देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

10/12/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति० जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.12.12 18:21:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: